प्रेस नोट
दिनांक 17.08.2025 थाना खोड़ारे
जनपद गोण्डा।

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, ई-रिक्शा की 04 अदद बैट्री व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 222/2025 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा से सम्बन्धित अभियुक्त राजकुमार विश्वकर्मा S/O श्री राम दयाल विश्वकर्मा को गौरा चौकी सादुल्लानगर मार्ग से दौलतपुर माफी जाने वाले मार्ग पर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ई-रिक्सा की 04 अदद बैट्री, चोरी में प्रयुक्त एक अदद ई-रिक्शा व रु0 1080/- नगद बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.08.2025 को आवेदक श्री अवधेश कुमार पुत्र अम्बिका प्रसाद निवासी बनगवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि चौकी गौरा बाजार के पास उनकी आनन्द आटो पार्ट्स ई-रिक्शा की दुकान है दिनांक 12.08.2025 को प्रार्थी दुकान बंद करके घर चला गया, अगले दिन सुबह दुकान खोली तो देखा कि दुकान के अन्दर खड़े नये ई-रिक्शा की 04 बैट्री अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई हैं। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 222/2025 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा चोरी गये माल व अभियुक्त की गिरफ्तारी के अथक प्रयास के उपरान्त आज दिनांक 17.08.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्त राजकुमार विश्वकर्मा S/O श्री राम दयाल विश्वकर्मा को चोरी के ई-रिक्सा की 04 अदद बैट्री व घटना में प्रयुक्त एक अदद ई-रिक्सा के साथ गौरा चौकी सादुल्लानगर मार्ग से दौलतपुर माफी जाने वाले मार्ग पर मोड़ पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

01. राजकुमार विश्वकर्मा S/O श्री राम दयाल विश्वकर्मा उम्र करीब 47 वर्ष नि0 इटई अब्दुल्ला थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर हालपता हासी पोखरा थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर ।

बरामदगी-

1. ई रिक्सा की 04 अदद बैट्री (चोरी की)
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद ई-रिक्सा

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1.उ0नि0 श्री रामअशीष मौर्य

2.हे0का0 शिव कुमार नायक

3.हे0का0 पंकज यादव

4.का0 सत्य व्रत यादव

5. का0 सचिन यादव

6.का0 संदेश पटेल

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.08.2025

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही से चोरी के 05 अदद मोबाइल फोन, एक अदद बैट्री व रु0 3000/- नगद बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्यॉ के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-186/2025 धारा 305(A), 317(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली कौड़िया जनपद गोण्डा से सम्बन्धित अभियुक्तगण- 01. सोनू पुत्र उदयराज निवासी ग्राम गोधना बेलभरिया थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच, 02. निखिल कुमार उर्फ करन पुत्र संजय सिंह निवासी भुढनी भलुहिया थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच को रावतारा अण्डरपास पुलिस के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे/निशानदेही से 05 अदद मोबाइल फोन, एक अदद बैट्री व रु0 3000/- नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अजय कुमार पुत्र राधे श्याम निवासी ग्राम भैरमपुर धोबियनपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 28/29.07.2025 को उसके घर से अज्ञात चोरो द्वारा तीन मोबाइल व रु0- 10,000/- हजार चोरी हो गये, तथा उसके पड़ोस के रहने वाले हरीराम पुत्र महादेव के यहाँ से भी मोबाइल चोरी हो गया है, तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया में 186/2025 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 16.08.2025 को देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 01. सोनू पुत्र उदयराज, 02. निखिल कुमार उर्फ करन पुत्र संजय सिंह को रावतारा अण्डरपास पुलिस के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे/निशानदेही से 05 अदद मोबाइल फोन, एक अदद बैट्री व रु0 3000/- नगद बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सोनू पुत्र उदयराज उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम गोधना बेलभरिया थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच।
02. निखिल कुमार उर्फ करन पुत्र संजय सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी बुढनी भलुहिया थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच।

बरामदगी-

01. 05 अदद मोबाइल फोन चोरी के
02. एक अदद बैट्री (ल्यूमिनस) चोरी की
03. रु0 3000/- नगद बरामद

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0 – 186/2025 धारा 305(A), 317(2) BNS थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 – 386/2025 धारा 303 (2) BNS थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 अमरजीत सोनकर मय हमराह
02. का0 संदीप सिंह
03. का० शैलेन्द्र दुबे
04. का० दिनेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।